



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्र.3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय / 'A' Grade university accreditation by NACC

Mahatma Gandhi Fuji Guruji Centre for Social Work
महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी समाज कार्य केंद्र

प्रो.मनोज कुमार/ PROF. MANOJ KUMAR

दूरभाष /Phone: +91-7152-251878

प्रोफेसर एवं निदेशक / PROFESSOR & DIRECTOR

दिनांक: 17.06.2015

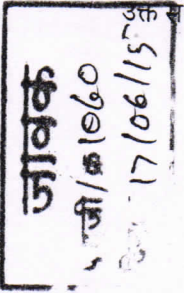
प्रति,
संकायाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष/निदेशक
म.गां.अ.हि.वि.वि.

विषय- विद्यापीठों/केंद्रों/विभागों का पुनर्गठन

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भ में कुलसचिव के कार्यालयादेश पत्रांक 005/2009/वि.प (22)/2015/409 दिनांक 16/06/2015 की प्रति आपको प्राप्त है।
14 मार्च 2015 के विद्या-परिषद की 22वीं बैठक की मद संख्या 14 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठों/केंद्रों/विभागों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया था।

उक्त संबंध में अगर आपका कोई प्रस्ताव है तो 18 जून 2015 के 11 बजे दिन तक औचित्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेज दें।



प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक) कार्यालय
4. प्रभारी, लीला अपलोड करने हेतु

सधन्यवाद

(प्रो.मनोज कुमार)

डाकघर- हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा- 442005 (महाराष्ट्र) भारत

Post Office- Hindi Vishwavidyalaya, Wardha- 442005 (Maharashtra) India वेबसाइट /Website: www.hindivishwa.org